

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी0आई0यू0) गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी0 0.00 से किमी0 81.204 तक के 4 लेन चौड़ीकरण में प्रभावित 8.3137 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0609 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि कुल 8.3746 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 849 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/138464/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-339/81-2-2022-800(332)/2022 दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

हस्ताक्षर

Date: 07-10-2022 20:04:42

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।